



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2019/कार्तिक 15, 1941

No. 646]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2019/KARTIKA 15, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 823(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा-52 की उप-धारा (2) के खंड (ड) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक माप-विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप-विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. विधिक माप-विज्ञान (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 2011 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 11 में—
(i) उप- नियम 2 का लोप किया जाएगा
(ii) उप-नियम 4 के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
“(4) निदेशक, अधिनियम की धारा 22 के अधीन जारी किए गए मॉडल अनुमोदन प्रमाण-पत्रों को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराएगा”
3. उक्त नियमों में, नियम 19 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

“19. बाट अथवा माप के मॉडल के परीक्षण के लिए जमा किए जाने वाला शुल्क—

- (1) आवेदक, नियम-5 के अधीन आवेदन करते समय, प्रयोगशाला में परीक्षण प्रभारों के लिए प्रयोगशाला के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अथवा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से शुल्क जमा करेंगे, अर्थात्
(i) बाटों या मापों अथवा बाट तथा माप उपकरणों के यांत्रिक मॉडल के परीक्षण के लिए दस हजार रुपए;
(ii) बाटों या मापों अथवा बाट तथा माप उपकरणों के डिजिटल अथवा इलैक्ट्रॉनिक मॉडल के परीक्षण के लिए पच्चीस हजार रुपए,

जो लेनदेन अथवा संरक्षण के लिए विनिर्मित किए जाने अथवा आयात किए जाने के लिए अभिप्रेत है।

(2) आवेदक, प्रतिस्थापित सामग्री के परीक्षण के लिए उप-नियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट परीक्षण-शुल्कों की आधी राशि जमा करेगा।”

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9 (41)/2019]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 183 (अ), तारीख 4 मार्च, 2011 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2019

G.S.R. 823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (m) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011, namely:—

1. (1) These rules may be called the Legal Metrology (Approval of Models) (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Legal Metrology (Approval of Models) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 11,—

(i) sub-rule (2) shall be omitted.

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(4) The Director shall cause the model approval certificates issued under section 22 of the Act to be published on the website of the Department.”

3. In the said rules, for rule 19 the following rules shall be substituted, namely: -

“19. Fees for testing of model of weight or measure to be deposited. -

(1) The applicant shall, while making an application under rule 5, deposit fees in the form of a demand draft drawn in favour of the laboratory or through online payment towards testing charges of the laboratory in the following manner, namely:-

(i) rupees ten thousand for the testing of mechanical type model of weights or measures or weighing and measuring instruments;

(ii) rupees twenty-five thousand for the testing of digital or electronic type model of weights or measures or weighing and measuring instruments,

that are intended to be manufactured or imported for transaction or protection.

(2) The applicant shall deposit half of the testing fees as specified in sub-rule (1) for testing of the substitute material.”

[F. No. WM-9(41)/2019]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 183 (E), dated 4th March, 2011.